शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य, दिनांक 08.06.2024

थाना बण्डा पुलिस को मिली बडी कामयाबी अवैध 700 ग्राम अफीम के साथ 02 तस्कर को किया गिरफ्तार

श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार,श्री मनोज अवस्थी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्री पंकज पंत,क्षेत्राधिकारी पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम व मादक पदार्थ तस्करी/अवैध शस्त्र बरामदगी, सत्यापन अपराधी के दौरान आज दिनाँक 08.06.2024 को बडी सफलता प्राप्त हुई।

उ0नि0 जयचन्द गिरि मय का0 2797 प्रमोद कुमार, का0 731 जरनैल सिंह के मय सरकारी गाडी न0 UP 32 EG 3191 मय चालक का0 देवेश कुमार के क्षेत्र में मामूर होकर टेढा पुल दलेलापुर पर चैकिंग हेतु जा रहे थे जैसे ही हम पुलिस वाले टेढा पुल के नजदीक पहुंचे तो टेढा पुल पर खडे दो व्यक्ति दिखाई दिये, जो पुलिस की गाडी देखकर पुवाया की तरफ तेज कदमों से भागने लगे कि उ0नि0 जयचन्द गिरि द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस बल की सहायता से अभियुक्त गण **1. मुराद खां पुत्र झब्बू खां नि0 करनैयापुर थाना सिंधौली शाहजहाँपुर, 2. युनुस खां पुत्र मो0 शेर खां नि0 खखरा बुजुर्ग थाना बण्डा शाहजहाँपुर** को घेर घारकर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए मौके पर ही **टेढा पुल से करीब 80 कदम पुवायां की तरफ समय करीब 12.05 बजे** हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार जामा तलाशी पर अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से क्रमशः 400-300 ग्राम नाजायज अफीम बरामद हुई हैं । बरामदगी के आधार पर नियमानुसार मु0अ0सं0- 384/2024 धारा 8/18 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गण उपरोक्त को विधिक कार्यवाही उपरान्त न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. मुराद खां पुत्र झब्बू खां निवासी करनैयापुर थाना सिंधौली शाहजहाँपुर,
2. युनुस खां पुत्र मो0 शेर खां नि0 खखरा बुजुर्ग थाना बण्डा शाहजहाँपुर,

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1 मु0अ0सं0- 384/2024 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम मुराद खां आदि 02 नफर थाना बण्डा,

बरामदगी का विवरण -

कुल 700 ग्राम अफीम नाजायज

विवरण पूछताछ अभियुक्तगण .... अभियुक्त गण 1. मुराद खां पुत्र झब्बू खां निवासी करनैयापुर थाना सिंधौली शाहजहाँपुर, 2. युनुस खां पुत्र मो0 शेर खां नि0 खखरा बुजुर्ग थाना बण्डा शाहजहाँपुर ने पूछताछ पर संयुक्त रूप बताया कि साहब हम लोग झारखण्ड से अफीम खरीदकर बण्डा –पुवायां शाहजहाँपुर, पूरनपुर पीलीभीत व बरेली आदि क्षेत्रों में घूम फिरकर अपने माध्यम से ग्राहक तलाश करते है और पीलीभीत व शाहजहाँपुर के आस पास के क्षेत्र में ढाबों पर व ट्रक चालकों को हमारा माल आसानी से बिक जाता है और पुलिस या अन्य किसी को कोई शक नही होता। और इसकी बिक्री से अच्छी मोटी कमाई होती है। जो भी मुनाफा होता है उसको आपस में बांट लेते है। साहब पुलिस द्वारा पकडने पर नाम न खुले जाने के डर से इस धंधे में कोई भी अपनी असली पहचान नहीं बताता है। जिससे हमने अफीम खरीदी थी उसने भी हमें अपना सही नाम -पता नहीं बताया था और आज मैं इसे लेकर बेचनें के लिए ग्राहक की तलाश में खुटार जा रहे थे। लेकिन आज आप लोगों ने हमे माल सहित पकड लिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1 श्री राकेश कुमार मौर्य प्र0नि0 थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
2 उ0नि0 जयचन्द गिरि थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
3 का0 2797 प्रमोद कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
4 का0 731 जरनैल सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,